



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012026-269699
CG-DL-E-31012026-269699

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 416]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 2026/माघ 10, 1947

No. 416]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 2026/MAGHA 10, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2026

का.आ. 444(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामतः-

उक्त अनुसूची में, क्रम सं. 402 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

तालिका		
क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
402	161एए	संगारेड्डी जिले के गिरमापुर गांव के निकट एनएच-65 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर रडेडीपल्ली, ईस्लामपुर, प्रगनापुर, रायगिरी को जोड़ने वाला और तेलंगाना राज्य में तंगडापल्ली (चौतुप्पोल) के निकट एनएच-65 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा. सं. एनएच- 14012/18/2024-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची, भारत के राजपत्र में दिनांक 4 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं.का.आ. 253 (अ), दिनांक, 16 जनवरी, 2026 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2026

S.O. 444(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) vide number S.O. 689(E) dated the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 402 and entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
402	161AA	The highway starting from its junction with NH-65 near Village Girmapur in Sangareddy District and connecting Reddypally, Isalampur, Pragnapur, Raigiri and terminating at its junction with NH-65 near Tangadapally (Choutuppol) in the state of Telangana.

[F. No. NH-14012/18/2024-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Footnote:-The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notification number S.O. 253(E) dated 16th January, 2026.